

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शामली।

पत्रांक : 3903/12/11

दिनांक : 26/12/2014

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
शामली।

विषय:- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा ग्राम शामली के खसरा नं0-1677 में स्थित ग्राम शाण्डे, तहसील व जिला शामली में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।


संदर्भ:- आपका पत्रांक 1217/शस्त्र-एन0ओ0सी0 दिनांक 25.03.14

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता प0क्षे0 लो0नि0वि0, मेरठ के पत्रांक 10602नि/882-प0क्षे0(आर-शामली)/14 दिनांक 18.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा संलग्न शर्तों के साथ उक्त प्रस्तावित निर्माण (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने के लिए इस विभाग के कोई आपत्ति नहीं है। यदि आवेदक मुख्य अभियन्ता प0क्षे0, लो0नि0वि0, मेरठ के शर्त पत्र में अंकित शर्तों का तथा मानचित्र पर अंकित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उक्त प्रस्तावित निर्माण (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए अनुमति पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- मानचित्र व एनेक्सर प्रथम द्वितीय तृतीय तथा शपथ पत्र व अन्य पत्र दो सैट


(एस0के0जैन)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
शामली।

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियन्ता प0क्षे0, लो0नि0वि0, मेरठ को उनके पत्रांक 10602नि/882-प0क्षे0(आर-शामली)/14 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लो0नि0वि0, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि :- प्रावैधिक वर्ग को मानचित्र की एक मूल प्रति सहित।


अधिशासी अभियन्ता
- प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
शामली।